

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

नवल किशोर,
संयुक्त निदेशक-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक:-.....2022

विषय:- भू-लगान के अंतर्गत लगान एवं सेस की राशि की वसूली के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-519 दिनांक-10.05.2018

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ लिया जाय। प्रासंगिक पत्र से भू-अर्जन परियोजनाओं हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए 25 वर्षों के "भू-लगान एवं सेस" की गणना करते हुए लगान की राशि की वसूली अधियाची विभाग से करने एवं उक्त राशि को संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा किये जाने का निदेश दिया गया है।

2. इस संबंध में महालेखाकार कार्यालय, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष-2021-22 से दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त होनेवाले वर्ष के प्रतिवेदन में कतिपय जिलों द्वारा विभिन्न भू-अर्जन परियोजनाओं के अंतर्गत अर्जित की जानेवाली भूमि के प्राक्कलन की राशि में "भू-लगान की राशि के साथ सेस" की राशि की गणना नहीं किये जाने के मामले पर आपति प्रकट करते हुए मामले को (ए.एम.जी.-IV) बिहार सरकार में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है, की सूचना दी गई है।

3. ज्ञातव्य हो कि बिहार काश्तकारी अधिनियम-1885 की धारा-3(5) में रेन्ट को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार "Rent" means whatever is lawfully payable or deliverable in money or kind by a tenant to his landlord on account of the use or occupation of the land held by the tenant.

In Section 53 to 67, both inclusive, Sections 72 to 75, both inclusive, Chapter XII, Chapter XIII and Schedule III of this Act, "rent" includes also money recoverable under any enactment for the time being in force as if it was rent."

4. रैयतों से लगान की वसूली की स्थिति में लगान एवं सेस दोनों की गणना करते हुए लगान की वसूली की जाती है। यदि भू-अर्जन के विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि से संबंधित 25 वर्षों के भू-लगान की राशि की गणना में सेस की गणना नहीं की जाती है, तो वह नियमानुकूल नहीं है। इस प्रकार की गणना में लगान एवं सेस दोनों की गणना करते हुए राशि की वसूली की जानी चाहिए।

5. उपरोक्त कंडिका-3 एवं 4 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि विभिन्न भू-अर्जन परियोजनाओं के अंतर्गत अर्जित की जानेवाली भूमि के लिए "भू-लगान एवं सेस" दोनों की गणना करते हुए प्राक्कलन की राशि में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

अतः निदेश दिया जाता है कि भू-अर्जन परियोजनाओं हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए 25 वर्षों के "भू-लगान एवं सेस" की गणना करते हुए लगान की राशि की वसूली अधियाची विभाग से किया जाय एवं तदनुसार प्राप्त राशि संबंधित राजस्व शीर्ष में निश्चित रूप से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(नवल किशोर)

संयुक्त निदेशक-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../रा०,

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

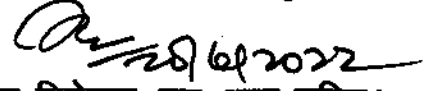
ह०/-

संयुक्त निदेशक-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक-791/रा10,

पटना, दिनांक-21-6-22

प्रतिलिपि:-विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर यथास्थान प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।


संयुक्त निदेशक-सह-अपर सचिव।